प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक- 15 जनवरी, 2020

विषयः- प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु।

महोदय,

स्वस्थ लोकजीवन के लिए खेल अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गतिविधि है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामों में खेल का मैदान पृथक रूप से चिन्हित न होने के कारण बच्चे खेलने के लिए अन्यान्य स्थानों पर जाते हैं, जहाँ उन्हें औपचारिक रूप से खेल का वातावरण एवं समुचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण खेलने में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर समुचित भूमि चिन्हित कर उस पर खेल का मैदान विकसित किया जाए। पृथक से खेल का मैदान/भूमि उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि में से प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची भूमि में खेल का मैदान विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त खेल के मैदान हेतु भूमि चिन्हित करते समय प्राथमिक विद्यालयों के आस-पास ग्राम सभा की भूमि को प्राथमिकता दी जाए। उक्त दोनों प्रकार की स्थितियां न होने पर ग्राम में किसी अन्य स्थान पर भूमि का चयन किया जाए। जिन ग्रामों में अभी चकबन्दी चल रही है, उन ग्रामों में चकबन्दी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम 01 हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिन्हित/आरक्षित कर दिया जाए।

3. उपर्युक्त प्रकार से चयनित भूमि पर खेल का मैदान विकसित करने हेतु अन्यथा सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में राज्य वित्त एवं मनरेगा की अनुमन्यता के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। सम्बन्धित भूमि पर उचित रीति से समतलीकरण कराकर खेल का मैदान विकसित किया जाए एवं उसकी सीमा सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में उस पर अतिक्रमण न हो सके।

4. उपरोक्तानुसार विकसित "खेल के मैदान" की देख-रेख सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा की जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो खेल के मैदान स्कूल/विद्यालय परिसर से नजदीक विकसित किये जाय, उनका प्रयोग स्कूल/विद्यालय संचालन के समय नहीं किया जाय।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वर्णित स्थितियों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-2, 3 व 4 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समग्र विवरण राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा/खेल/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3. चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर पाक्षिक समीक्षा कर समग्र विवरण शासन को उपलब्ध करायें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।